



कार्यालय ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर म0प्र0

विज्ञापन क्र. 3190

ग्वालियर , दिनांक 27.07.2019

रेरा पंजीयन क्र. — P-GWL-17-1330

शताब्दीपुरम योजना फेज-2

स्वतन्त्र आवास (ड्यूप्लेक्स)
“ श्री अनिल भाटिया आवासीय परिसर ”
// विज्ञप्ति //

ग्वालियर विकास प्राधिकरण की शताब्दीपुरम योजना फेज-2 अन्तर्गत श्री अनिल भाटिया आवासीय परिसर में पूर्ण निर्मित ((Ready To Move) एम.आई.जी. ड्यूप्लेक्स के पंजीयन हेतु प्रस्ताव निम्नलिखित तालिका अनुसार आमंत्रित किये जाते हैं —

स.क्र.	ईकाई का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मी. में (विल्टप एरिया)	भूतल+प्रथमतल का कार्पेट एरिया वर्ग मी. में	आरक्षण का वर्ग तथा आरक्षित किये गये ईकाईयों की संख्या	नियत मूल्य (प्रावधिक) प्रति ड्यूप्लेक्स	रजिस्ट्रीकरण प्रभार	वार्षिक पट्टा भाड़ा
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुल संख्या -41 (प्रति ईकाई आकार) 6X12 = 72 वर्गचमी.	98.44	82.34	अनारक्षित -41	27,09,000/-	यथानियम	यथानियम

उपरोक्त सम्पत्तियों के रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रपत्र बैंक ऑफ बडौदा ग्वालियर की शाखाओं से दिनांक 27-07-2019 राशि रुपये 1000/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक /नगद राशि जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा प्रपत्र को ऑनलाईन द्वारा प्राधिकरण की बेबसाईट www.gdagwalior.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। उपरोक्त रजिस्ट्रीकरण की अन्तिम तारीख 31-08-2019 सायं 5.00 बजे तक निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रीकरण हेतु निबंधन तथा शर्तें, प्रपत्र में दर्शाई गई हैं, तथा प्राधिकरण की बेबसाईट पर भी अवलोकन किया जा सकता है।

नोट:-

- 1-पंजीयन राशि डी.डी./बैंकर्स चैक द्वारा जोकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण (C.E.O , GDA, Gwalior) के नाम देय होगा, आवेदन के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन राशि प्रावधिक मूल्य का 10% है।
- 2- उपलब्ध संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पंजीयन लॉटरी पद्धति से दिनांक 01-09-2019 को प्राधिकरण कार्यालय में किया जावेगा। जिसमें आवेदनकर्ता उपस्थित रह सकते हैं।
- 3-आवेदनकर्ता आवेदन से पूर्व स्थल पर अवलोकन कर सकते हैं तथा ड्यूप्लेक्स यथास्थिति में आवंटन किया जावेगा। बाद में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी।
- 4-जीएसटी शुल्क नियमानुसार लागू होगा।
- 5-आवेदनकर्ता पर शासन के व्ययन नियम 2018 एवं समय-समय पर जारी व प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय प्रभावशील होंगे।
- 6-व्ययन नियम 2018 के भाग तीन में नियम 11 अनुसार विक्रित सम्पत्ति पूर्ण विकसित अथवा निर्मित होने से एक मुश्त राशि के भुगतान पर आवंटित की जावेगी। यदि आवेदनकर्ता द्वारा एक मुश्त राशि न देते हुये किशतों पर भुगतान के संबंध में कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसके आवेदनुसार ऐसी किशतों पर अधिकतम आठ त्रमासिक किशतों में भुगतान किया जावेगा और किशतों पर अधिकतम ब्याज की दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित /ऋण दरों में दो प्रतिशत जोडकर निर्धारित की जायेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण
ग्वालियर

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव मान. आयुक्त/अध्यक्ष महोदय ग्वा.वि.प्रा. की ओर सूचनार्थ ।
- 2- निज सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वा.वि.प्रा. की ओर सूचनार्थ ।
- 3- अधीक्षण यंत्री /कार्यपालन यंत्री 1/2/3 /लेखा अधिकारी/सम्पदा अधिकारी ग्वा.वि.प्रा. की ओर सूचनार्थ ।
- 4- जनसम्पर्क अधिकारी ग्वा.वि.प्रा. की ओर व्ययन नियम -2018 अनुसार निविदा प्रकाशन एवं उपरोक्त विज्ञापन प्राधिकरण की वेवसाईट पर समस्त अभिलेख के साथ अपलोड करने हेतु
- 5- साईट इंचार्ज शताब्दीपुरम फेस-2 योजना की ओर सूचनार्थ ।
- 6- कार्यालय कमिश्नर ग्वालियर /कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर /कार्यालय कमिश्नर नगर निगम /तहसीलदार, तहसील कार्यालय ग्वालियर की ओर भेजकर निवेदन है कि निविदा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने की कृपा करें।
- 7- कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 8- प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 9- श्री भास्कर राव काले , प्रभारी मानचित्रकार की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जनसम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क कर उक्त विज्ञापन प्राधिकरण की वेवसाईट पर अपलोड कराकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण
ग्वालियर

प्ररूप-ट

(नियम 8 (2) (छह) देखिए)

आवेदन क्रमांक

श्रेणी

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :

1. विधिवत रूप से भरा गया आवेदन पत्र
2. छायाचित्र (फोटोग्राफ)
3. शपथ-पत्र (Affidavit)
4. आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
5. आरक्षण के संबंध में प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो (सत्यप्रतिलिपि में)

ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर

“श्री अनिल भाटिया आवसीय परिसर शताब्दीपुरम फेज-2 में लॉटरी पद्धति द्वारा एम.आई.जी. भवन(ड्यूप्लेक्स) हेतु आवेदन प्रपत्र ”

विज्ञापन क्रमांक 3190

दिनांक 27-07-2019

आवेदन प्रपत्र क्रमांक

मूल्य 1000/- एवं जी.एस.टी. शुल्क रु. 180/-

अहस्तान्तरणीय (Non Transferable).

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण
ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

आवेदक का
पासपोर्ट आकार
का छाया चित्र
यहां चिपकाया
जाए

महोदय,

निवेदन है कि विज्ञापन क्रमांक 3190 दिनांक 27-07-2019 के आधार पर मुझे पट्टे पर निम्न भूखण्ड/ईकाई आवंटित करने का कष्ट करें। अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार भर कर प्रस्तुत की जा रही है।

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. आवेदक की आयु :

4. पूरा पता :
- दूरभाष/मोबाईल (कार्यालय)(निवास)
5. कुल मासिक आय रूपये :
6. यदि नियोजित हो, तो नियोजक का नाम :
-
7. सेवा की अवधि :
8. यदि निजी व्यवसाय :
- में हैं, तो उसका ब्यौरा दूरभाष क्र. निवास दूरभाष (कार्यालय)मो.नं.
-
9. निबंधन तथा शर्तों के अनुसार :
- शपथ पत्र संलग्न है
10. आवेदन-प्रपत्र डाउनलोड करने की दशा में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्र.दिनांकबैंक का नाम
-राशि
11. मैं आश्वासन देता/देती हूँ कि यदि मेरा आवेदन प्रपत्र स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं भूखण्ड/इकाई की बकाया अधिमूल्य (प्रीमियम) का भुगतान निर्धारित समय पर जमा कर दूंगा/दूंगी तथा वार्षिक पट्टा भाड़ा भुगतान तिथि को नियमित रूप से समय पर जमा कर दूंगा/दूंगी।
12. मैं आश्वासन देता/देती हूँ कि मैं शासन तथा प्राधिकरण द्वारा, समय-समय पर बनाये गये नियमों/विनियमों का पालन करूंगा/करूंगी।
13. मैंने प्राधिकरण के भूखण्ड/इकाई के आवंटन से संबंधित निबंधन, शर्तों तथा नियमों को समझ लिया है तथा ये मुझे स्वीकार हैं।
14. यदि आवेदन प्रपत्र में प्रस्तुत की गई कोई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो प्राधिकरण को मेरे आवेदन प्रपत्र को निरस्त करने तथा जमा की गई पंजीयन राशि का समपह्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

अनुलग्नक :

1. आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करने की दशा में रु. 1000/- एवं जी.एस.टी. शुल्क 180/- का ड्राफ्ट /बैंकर्स चैक क. दिनांक
- बैंक का नाम
2. पंजीयन हेतु ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक तारीखरूपये
3. निबंधन तथा शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति
4. शपथ-पत्र
5. आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो)
- (उपरोक्त में जो लागू नहीं हो उसे काट दिया जाये।)

.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

कार्यालय ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर

नियत दर पर सम्पत्तियों के व्ययन संबंधी निबंधन तथा शर्तें (Terms and Conditions for Disposal of Properties on Fixed Rate)

1. सामान्य शर्तें (General Terms)

- व्ययन के लिए उपलब्ध सम्पत्तियों (परिसम्पत्तियों) से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर भूखण्डों/इकाइयों को लाटरी के आहरण अनुसार आवंटित किया जाएगा।
- सम्पत्ति के आवंटन हेतु आवेदक को अपना आवेदन प्रपत्र विहित प्ररूप में प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रपत्र विज्ञापन में उल्लेखित समय सीमा के भीतर ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- विज्ञापन के अधीन भूखण्डों/इकाइयों के क्रमांक का आवंटन लॉटरी द्वारा संपन्न किया जाएगा।
- एक परिवार (जिसमें पति/पत्नी/अवयस्क बच्चे हो) से केवल एक आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि पति तथा पत्नी में से केवल एक को ही आवेदन करने की पात्रता होगी। इस निबंधन तथा शर्त के किसी उल्लंघन किये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त आवेदनों को निरस्त किया जा सकेगा।
- सम्पत्ति के लिए आवेदक को यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके/उनके द्वारा प्राधिकरण की किसी योजना के अंतर्गत इससे पूर्व नियत दर पर कोई भूखण्ड/इकाई की प्राप्ति नहीं की गई है।
- यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता हो तो उस दशा में उसे इस बारे में प्राधिकरण को लिखित में सूचना उपलब्ध करानी होगी।
- यदि कोई अपना आवेदन प्रस्तुत करने के बाद आवेदन हेतु नियत अन्तिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन वापस ले लेता है तो आवेदक द्वारा जमा की गई राशि में से दस प्रतिशत राशि की कटौती करने के पश्चात आवेदक को शेष राशि लौटा दी जाएगी। पंजीयन स्वीकार किये जाने हेतु लॉटरी का आहरण किये जाने की प्रक्रिया के बाद सम्पत्ति का प्रावधिक आवंटन हो जाने पर, आवेदन के साथ जमा पंजीयन राशि वापस नहीं की जाएगी तथा जमा की गई राशि को समपहृत कर लिया जाएगा तथा इस संबंध में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
- प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

दो भुगतान की शर्तें (Payment Terms)

- सफल आवेदक के पंजीयन की स्वीकृति के बाद एक मुश्त राशि के मांग पत्र में उल्लेखित समय-सीमा में जमा करानी होगी।
- आवेदक द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) की राशि तथा एक वर्ष का लीजरेट जमा करने के पश्चात ही उसे आवंटन पत्र (Allotment Letter) जारी किया जाएगा।
- जहां सफल आवेदनकर्ता विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उपरोक्तानुसार संदाय करने में असफल रहता है वहां प्राधिकरण आवंटन को रद्द तथा पंजीयन राशि रकम को समपहृत कर सकेगा। जब तक कि प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार लिखित रूप में उक्त समय सीमा में वृद्धि नहीं की गई हो।
- पट्टाधारी (Lessee) अथवा हस्तांतरिती (Transferee) सरकार, नगर पालिक अभिकरण अथवा अन्य किसी कानूनी निकाय द्वारा उदग्रहीत समस्त करों/शुल्कों/अभिकरों/प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचित की गई तारीख से आधिपत्य को विचार में लिए बिना भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा। भले ही आधिपत्य ग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।
- व्ययन नियम 2018 के भाग तीन में नियम 11 अनुसार विक्रित सम्पत्ति पूर्ण विकसित अथवा निर्मित होने से एक मुश्त राशि के भुगतान पर आवंटित की जावेगी। यदि आवेदनकर्ता द्वारा एक मुश्त राशि न देते हुये किशतों पर भुगतान के संबंध में कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसके आवेदनुसार ऐसी किशतों पर अधिकतम आठ त्रमासिक किशतों में भुगतान किया जावेगा और किशतों पर अधिकतम ब्याज की दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित /ऋण दरों में दो प्रतिशत जोड़कर निर्धारित की जायेगी।
- सम्पत्ति का आवंटन किये जाने पर यदि प्राधिकरण सम्पत्ति का आधिपत्य किसी भी कारण से चाहे जो भी हो, आवंटिती को प्रदान करने में असमर्थ रहता है तो प्राधिकरण द्वारा जमा रकम की वापसी सात प्रतिशत की ब्याज दर के साथ की जाएगी।
- यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में सम्पत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से कम पाया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम तथा वार्षिक पट्टा भाड़ा आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा।
- सम्पत्ति का आवंटन किये जाने पर यदि प्राधिकरण सम्पत्ति का आधिपत्य किसी भी कारण से चाहे जो भी हो, आवंटिती को प्रदान करने में असमर्थ रहता है तो प्राधिकरण द्वारा जमा की रकम की वापसी सात प्रतिशत की ब्याज दर के साथ की जाएगी।

तीन— सम्पत्ति को पट्टे पर प्रदान करने संबंधी निबंधन (Terms for Lease Property)

1. सम्पत्ति पट्टा आधार पर (Lease Basis) 30 वर्षों की अवधि के लिये प्रदान किया जाएगा (जब तक अन्यथा सरकारी सम्पत्तियों की दशा में ऐसी सम्पत्तियों के लिये जो प्राधिकरण के अंतर्गत निहित हो या जिनका प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा हो तथा जो विशिष्ट रूप से सामान्य/विशेष स्वीकृति के अनुसार अथवा प्राधिकरण की किसी सम्पत्ति के बारे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियंत्रित की जा रही है) जिनकी कालावधियों का विस्तार 30 वर्षों की दो अतिरिक्त अवधियों के लिए किया जा सकेगा, जिसके अनुसार प्राधिकरण को वार्षिक पट्टा भाड़ा प्रत्येक नवीनीकरण के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत वार्षिक पट्टा भाड़ा चार गुना तक वृद्धि करने का अधिकार होगा।
2. सम्पत्ति का वार्षिक पट्टा भाड़ा प्रभारित अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि का 0.1 प्रतिशत प्रभारित किया जाएगा।
3. सम्पत्ति के लिए निर्धारित वार्षिक पट्टा भाड़े का भुगतान प्रति वर्ष अग्रिम रूप से देय होगा तथा प्रति वर्ष एक जून को या इससे पूर्व किया जाएगा। प्रथम वार्षिक पट्टा भाड़ा उस वित्तीय वर्ष, जिसके अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा आधिपत्य सौंपे जाने की तिथि अधिसूचित की गई हो, एक जून से देय होगा।
4. जहां पट्टाधारी द्वारा देय वार्षिक पट्टा भाड़ा रकम का भुगतान नियत तारीख से तीन माह से अधिक की अवधि हेतु लम्बित रहता है, वहां प्राधिकरण द्वारा वार्षिक पट्टा भाड़ा रकम की वसूली की प्रक्रिया भू राजस्व की बकाया रकम (Arrears of Land Revenue) के रूप में प्रारंभ की जा सकेगी।
5. सम्पत्ति का आधिपत्य "जैसा है जहां है" के आधार पर सौंपा जाएगा (जब तक अन्यथा उपबन्धित न किया हो) तथा प्राधिकरण, भूमि/भूखण्ड पर किसी भराई (filling)/समतलन (levelling) के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
6. आवंटिती को सम्पत्ति का आधिपत्य, अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम तथा प्रथम वर्ष की अग्रिम वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि का पूर्ण भुगतान के बाद ही सौंपा जाएगा (जब तक इस बारे में नियम 13 के अंतर्गत राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन द्वारा सम्पत्ति आवंटन के लिए विशेष स्थितियों में विशिष्ट उपबंध न कर दिया गया हो, जिससे प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम का न्यूनतम 25 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया हो)।
7. अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाड़ा की संपूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात् प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) द्वारा सम्पत्ति के वास्तविक आधिपत्य प्रदान करने के प्रयोजन हेतु तिथि तथा समय की अधिसूचना जारी की जाएगी तथा सम्पत्ति का पट्टा उक्त अधिसूचित तिथि से तथ्य पर विचार किए बिना प्रारंभ हो जाएगा चाहे आवंटिती द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य किया गया हो अथवा नहीं।
8. अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाड़ा की संपूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात् प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किये गये निदर्शन पत्र के अनुसार आवंटिती द्वारा पट्टा विलेख (Lease Deed)/दस्तावेज तैयार किया जायेगा तथा इन्हें प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी के समक्ष उसके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की तारीख से तीन माह के भीतर पट्टाधारी (Lease) अनिवार्यतः रजिस्ट्रार (Registrar) के कार्यालय से पट्टे को रजिस्ट्रीकृत कराना होगा। पट्टाधारी को पट्टा अभिलेख के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित समस्त व्ययों का वहन करने हेतु उत्तरदायी होगा। पट्टाधारी पट्टे के रजिस्ट्रीकरण से तीस दिन के भीतर पट्टा विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी होगी।
9. पट्टाधारक, पट्टे की शर्तों के अधीन रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति को सम्पत्ति का अंतरण प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कर सकेगा और उसे प्राधिकरण द्वारा अवधारित अंतरण शुल्क की राशि जमा करना होगी, जो अंतरण हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन तिथि को प्रचलित प्रयोज्य मार्गदर्शक दर के 0.5 प्रतिशत होगी। जहां अंतरण उत्तराधिकार के नैसर्गिक न्यायगमन (natural devolution of heirship) के अनुक्रम में चाहा गया हो, वहां कोई अंतरण शुल्क देय नहीं होगा।
10. पट्टाधारी, को पट्टा विलेख के पंजीयन उपरांत प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त कर ऋण की प्राप्ति हेतु इकाई को बंधक (mortgage) रखने का अधिकार होगा।
11. पट्टाधारी जो सम्पत्ति के पुनर्मापन (re-measurement) का इच्छुक है उसे प्राधिकरण को रु. 1000/- अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।
12. ऐसे प्रकरण में जहां पट्टाधारी पट्टा विलेख की किसी शर्त का उल्लंघन करता हो, वहां प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति के पट्टे को रद्द किया जा सकेगा। पट्टे के रद्दकरण के पश्चात् प्राधिकरण को सम्पत्ति में पुनः प्रवेश करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

चार— आवंटित सम्पत्तियों के लिए विकास तथा भवन निर्माण विनियम (Development and Building Regulations for Allotted Properties)

1. आवंटित की गई सम्पत्ति के बारे में इसके अभिहित उपयोग में किसी परिवर्तन को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा। कोई भी निर्माण कार्य जो स्वीकृत नक्शे के विपरीत हो, को अनाधिकृत कार्य माना जाएगा तथा ऐसे कृत्य को पट्टे की शर्तों का उल्लंघन माना जाकर, तदनुसार संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की पहल की जाएगी।
2. यदि किसी प्रकरण में सम्पत्ति का उपयोग उसके अभिहित उपयोग से अन्यथा किया जाता है और/या कोई निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शों का उल्लंघन कर अथवा स्वीकृत नक्शों के बगैर ही सम्पन्न किया जाता है तो प्राधिकरण को आवंटन/पट्टा रद्द करने का अधिकार होगा। ऐसी परिस्थितियों में पट्टाधारी को किसी कानूनी अथवा कोई सरकारी अभिकरण द्वारा उस पर अधिरोपित किसी अर्थदण्ड का भुगतान भी करना होगा।
3. पट्टाधारी सेवा संबंधी आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, जो नगरपालिकनिगम/नगरपालिक परिषद् अथवा सेवाप्रदाय हेतु अन्य किसी संस्था के नियमों तथा विनियमों के अनुसार जल प्रदाय संयोजन, मलजल निकासी संयोजन तक ही सीमित न होगा। ऐसे प्रकरण में जहां आवंटित सम्पत्ति ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां मलजल निकासी सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां पट्टाधारी नगर पालिक निगम/नगर पालिक परिषद के नियमों तथा विनियमों के अनुसार मलजल की सुरक्षित निकासी के लिये आवश्यक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा।
4. पट्टाधारी विद्युत संयोजन की प्राप्ति तथा इससे संबंधित समस्त प्रभारों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।

पांच— आवंटन का अन्तरण (Transfer of Allotment)

संपत्ति के आवंटन का अंतरण सम्पत्ति आवंटन तारीख से छह माह की अवधि के समाप्त होने के पश्चात ही किया जा सकता है आरक्षित श्रेणी के अधीन आवंटित की गई सम्पत्तियों के बारे में अन्तरण, केवल ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञेय किया जाएगा, जो आरक्षण की उसी श्रेणी के अंतर्गत इसे धारित करने की पात्रता रखता हो जिस हेतु सम्पत्ति को पूर्व में आवंटित किया गया हो। अन्तरण शुल्क का भुगतान अधिमूल्य (प्रीमियम) अथवा अन्तरण तारीख को प्रचलित लागू कलेक्टर गाइड लाइन दर (applicable guideline rate) की एक प्रतिशत की दर से इनमें से जो भी अधिक हो, भुगतान योग्य होगा।

छह— अन्य निबंधन तथा शर्तें (other Terms and Conditions)

1. यदि बोली से संबंधित निबंधन तथा शर्तों में तथा “मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2018” के अथवा राज्य सरकार के अन्य किन्हीं नियमों/कानूनी उपबन्धों में विसंगति उद्भूत होती है तो अंतिम उल्लेखित उपबंध अभिभावी रहेंगे और पट्टाधारी पर बाध्यकारी होंगे।
2. यदि योजना के अधीन कोई विशेष निबंधन तथा शर्तों का विशदीकरण तत्संबंधी विज्ञापन में किया गया हो, वहां सम्पत्ति के प्राप्तकर्ता के लिये इन शर्तों के अलावा उपरोक्त उल्लिखित शर्तें भी बाध्यकारी होंगी।
3. निबंधन तथा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर यदि विवाद उद्भूत होता है तो विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।
4. जहां कहीं शब्द “प्राधिकरण (Authority)” का उपयोग किया गया हो वहां इसके प्रतिनिधि, नाम निर्देशिती, उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समनुदेशिती (permitted assignees) भी सम्मिलित होंगे तथा इसी प्रकार जहां शब्द “पट्टाधारी (Lessee)” का उपयोग किया गया हो, वहां इसमें उसके उत्तराधिकारी का नाम भी सम्मिलित होना माना जाएगा।
5. पंजीयन राशि नियत मूल्य का 10 प्रतिशत डी.डी./बैंकर्स चैक द्वारा जोकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण के नाम देय होगा। आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

दिनांक:

.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम

पूर्ण पता

मोबा.न..

लागू विधि के अनुसार मूल्य के गैर न्यायिक मुद्रांकों पर सम्यक रूप से नोटरी प्रमाणीकरण के पश्चात् प्रस्तुत किया जाए

शपथ-पत्र (Affidavit)

(प्राधिकरण की सम्पत्तियों (आस्तियों)(Assets) के लिए विहित)

1. मैं, अभिसाक्षी शपथ पर निम्नानुसार कथन करता/करती हूँ कि :-

मेरा नाम :
पिता/पति का नाम :
आयु :
व्यवसाय :
मासिक/वार्षिक आय :
पूर्ण पता : दूरभाष/मोबा. नम्बर

पासपोर्ट साईज
का फोटो चस्पा
करें।

2. यहकि, आवेदन के अंतर्गत दी गई समस्त जानकारी सही है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

3. यहकि, मैने व्ययन नियम 2018 में निबंधन एवं शर्तें जिसमें नियत दर आधार पर प्राधिकरण की सम्पत्ति के व्ययन के लिए नियम सम्मिलित हैं, भली भांति समझ लिया है और जो कि मुझे पूर्णतः स्वीकार है।

4. यहकि, आवेदन के अंतर्गत कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो प्राधिकरण को मेरा आवेदन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

5. यहकि, प्राधिकरण द्वारा मुझे नियत दर पर अथवा किसी विशेष योजना में, किसी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत जिसके लिये यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, कोई सम्पत्ति पूर्व में आवंटित नहीं की गई है।

6. यहकि, यह शपथ पत्र मेरे द्वारा ग्वालियर विकास प्राधिकरण की **अनिल भाटिया आवासीय परिसर** में नियत दर के अनुसार इकाई क्रय हेतु इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन के अधीन रहते हुए, प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक :

अभिसाक्षी

: सत्यापन ::

मैं पिता/पति श्री सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त सूचना व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य है और न इसे छिपाया गया है जो आज दिनांक को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

1. कोई भी विषय वस्तु जो लागू न हो तथा अनावश्यक हो, उसे शपथ-पत्र में शामिल न करें।

2. किसी अन्य प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया शपथ-पत्र मान्य नहीं होगा।